



## घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में अंकित सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी अथवा निगरानी का मामला अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है। मुझे ऐसी कोई वित्तीय अथवा अन्य रुचि नहीं है जो न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्यों/दायित्वों के निष्पादन में हानिकारक/बाधक हो। अन्यथा पाये जाने पर मेरा आवेदन रद्द किया जा सकेगा। मैं झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के कुशल संचालन हेतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित के विभिन्न धाराओं के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करूँगा।

स्थान:-.....

दिनांक:-.....

हस्ताक्षर

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 एवं झारखंड भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 यथा संशोधित विभागीय वेबसाइट—[www.udhd.jharkhand.gov.in](http://www.udhd.jharkhand.gov.in) एवं झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार, राँची के वेबसाइट—[www.jharera.jharkhand.gov.in](http://www.jharera.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ज्ञानेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— 118

राँची, दिनांक— 08/01/24

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के अपर सचिव



**झारखंड सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

पत्रांक-.....119.....

दिनांक-.....08/01/24.....

**झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के अध्यक्ष, एक सदस्य एवं भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य (तकनीकी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना।**

एतद् द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार एवं झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए निम्नांकित पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

| क्र० | प्राधिकार / न्यायाधिकरण            | पद             | रिक्ति |
|------|------------------------------------|----------------|--------|
| 1    | झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार   | अध्यक्ष        | 01     |
|      |                                    | सदस्य          | 01     |
| 2    | झारखंड भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण | सदस्य (तकनीकी) | 01     |

2. नियुक्ति से संबंधित आवेदन, विस्तृत विज्ञापन में वर्णित प्रपत्र में वांछित सूचनाओं तथा तत्संबंधी घोषणा के साथ दिनांक-07/02/24 को अपराह्न 04:00 बजे तक निम्नांकित पते पर निबंधित डाक से, स्वहस्तलिखित अथवा टंकित रूप में, समर्पित किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन प्राप्ति का पता-

**प्रधान सचिव,**

नगर विकास एवं आवास विभाग का कोषांग,  
कमरा संख्या-413, चतुर्थ तल, प्रोजेक्ट भवन,  
धुर्वा, राँची, झारखंड पिन कोड-834004

उक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञापन (क्रमशः विज्ञापन सं०-117 एवं 118 दि०-

08/01/24) विभागीय वेबसाईट-[www.udhd.jharkhand.gov.in](http://www.udhd.jharkhand.gov.in) एवं झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार के वेबसाईट-[www.jharera.jharkhand.gov.in](http://www.jharera.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ज्ञानेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

राँची, दिनांक-08/01/24

ज्ञापांक-.....119.....

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में तथा देश के महानगरों (दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद) में प्रकाशित होने वाले Time of India/The Hindustan Times अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2. निदेशित किया जाता है कि श्री कुणाल कुमार, आई०टी० विशेषज्ञ, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, झारखंड, राँची को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराने एवं विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के अपर सचिव।